न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार RAS .

राजस्व मूल वाद संख्या:– 87/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.शमसुद्दिन पुत्र श्री हाजी रसूल खॉ जी मुसलमान उम्र 64 वर्ष निवासी आनन्द नगर ग्राम सोजतरोड तहसील सोजत जिला पाली 02.सलीम मोहम्मद पुत्र श्री शमसुद्दिन मुसलमान निवासी सम्पत कॉलोनी ग्राम सोजतरोड तहसील सोजत जिला पाली 03.हासम खॉ पुत्र श्री शमसुद्दिन निवासी आनन्द नगर सोजतरोड तहसील सोजत जिला पाली		01.हर्षवर्धन मेहता पुत्र स्व0 अभिनन्दनमलजी मेहता जैन निवासी सोजत रोड तहसील सोजत जिला पाली 02.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर। 03.उप पजीयक अधिकारी झंवर जोधपुर 04.श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा ,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा उपस्थित
2. प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री धमीचन्द्र देवासी उपस्थित

आदेश दिनाक 13/12/2022

वादी का वाद अन्तर्गत धारा .53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.09.2022 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 11.10.2022 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 627/6 कुल रकबा 1.9830 हैक्टर ग्राम केरला तहसील झंवर वादीगण एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 11.10.2022 मय मौका फर्द दिनाक 10.10.2022 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार

01. शमसुदीन पुत्र रसुल खॉ 1/3
02. सलीम मोहम्मद पुत्र शमसुदीन 1/3
03. हासम खॉ पुत्र शमसुदीन 1/3 जाति तेली मुसलमान सा,सोजत रोड पाली

खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
627/6	0.9915	बारानी चुतर्थ	0.795

02.हर्षवर्धन मेहता कर्ता एच,यू,एच पुत्र अभयनन्दमल मेहता जाति जैन सा सोजत रोड तह. सोजत पाली खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
627/6	0.9915	बारानी चुतर्थ	0.795

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वादी अधिवक्ता द्वारा बटवाडा प्रस्ताव पर ऐतराज किया गया उस पर भी बहस सुनी गई वादी का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है । एव वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 11.10.2022 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 10.10.2022 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 87 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.शमसुद्विन पुत्र श्री हाजी रसूल खॉ जी मुसलमान उम्र 64 वर्ष निवासी आनन्द नगर ग्राम सोजतरोड तहसील सोजत जिला पाली 02.सलीम मोहम्मद पुत्र श्री शमसुद्विन मुसलमान निवासी सम्पत कॉलोनी ग्राम सोजतरोड तहसील सोजत जिला पाली 03.हासम खॉ पुत्र श्री शमसुद्विन निवासी आनन्द नगर सोजतरोड तहसील सोजत जिला पाली		01.हर्षवर्धन मेहता पुत्र स्व0 अभिनन्दनमलजी मेहता जैन निवासी सोजत रोड तहसील सोजत जिला पाली 02.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर। 03.उप पजीयक अधिकारी झंवर जोधपुर 04.श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 87 / 2022 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतःआदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 10.10.2022 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार झवर को आदेश दिया जाता है।

नीज.............................मुबलिक..........................बाबत...........................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.................
....................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 13/12/2022 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्वाई		रूपया	पै.	मुद्वायलाह			रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	स्आम्प			स्टाम्प	अरजी	दावा		
वकालतनामा				स्टाम्प				
स्टाम्प वजह सबूत				वकालतनामा				
महनताना वकील				स्टाम्प वजह सबूत				
खर्चा गवाहान				महनताना वकील				
फीस कमिष्नर				खर्चा गवाहान				
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक				फीस कमिश्नर				
	मीजान			बाबत	इजराय	हुक्मनामा		
				मुतफर्रिक				
						मीजान		

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner